सत्यमेव जयते
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS, RAJASTHAN
6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर–302004
6-B, JHALANA DOONGRI, JAIPUR-302004
दूरभाष/Phone : 0141- 2708078, 2709177 फैक्स/ Fax: 2707090
ई-मेल/ E-mail : dco-raj.rgi@censusindia.gov.in

परिपत्र संख्या–3

N-23017/1/2014-NPR/72 दिनांक 05-10-2015

जिला रजिस्ट्रार, सिविल रजिस्ट्रेशन
(जिला कलक्टर/आयुक्त नगर निगम)

विषयः राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के डाटा बेस को अद्यतन करने के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश।

महोदय,

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन करने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। राज्य में यह कार्य 10 अक्टूबर से 9 नवम्बर 2015 के मध्य करवाया जायेगा। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.09.2015 को राजपत्र में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। आशा है कि इस निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए परिपत्र संख्या–1 व 2 के अनुसार आपने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने के संबंध में सभी प्रारम्भिक तैयारियां पूर्ण कर ली होगी। इसी क्रम में आपके द्वारा सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई एनपीआर डाटाबेस की सॉफ्टकॉपी के आधार पर जिले के सभी ब्लॉकों के सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (LRUR) का मुद्रण कार्य भी पूर्ण हो चुका होगा अथवा समाप्ति पर होगा।

आपके जिले में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है और आशा है कि सभी चार्ज अधिकारियों द्वारा प्रगणकों की नियुक्ति का कार्य पूर्ण

कर उन्हें नियुक्ति पत्र व आवंटित ब्लॉकों की संख्या दर्शाते हुए परिचय पत्र भी जारी कर दिये होंगे। क्षेत्र कार्य को प्रभावी रूप से पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि प्रगणकों को गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।

प्रगणकों को फील्ड कार्य के दौरान् किसी भी तरह की परेशानी न हो उसके लिए जरूरी है कि उन्हें प्रभावी प्रशिक्षण देते समय कुछ उपयोगी दिशा–निर्देश से अवगत कराया जावे ताकि उन्हें किसी भी तरह की विरोधाभास की स्थिति से न गुजरना पडे।

जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान् नागरिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा फील्ड कार्य के संबंध में कई प्रकार की शंकाऐं प्रस्तुत की गई थी जिनके क्रम में सामान्य दिशा–निर्देश निम्नानुसार है:

1. अनुदेश पुस्तिका में ब्लॉक की पहचान हेतु ब्लॉक के नजरी नक्शें व संक्षिप्त मकानसूची को सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (LRUR) के साथ उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देश मुद्रित है किन्तु सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर में ब्लॉक के सभी परिवारों का विवरण उपलब्ध है अतः ब्लॉक के नक्शें व सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर की सहायता से ब्लॉक की पहचान भलीभांति की जा सकती है और संक्षिप्त मकानसूची की उपयोगिता नहीं है अतः संक्षिप्त मकानसूची को उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है।
2. प्रगणकों को प्रशिक्षण के पश्चात् सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (LRUR) तथा आवश्यक स्टेशनरी उपलब्ध करवाई जानी है जिससे वह सुगमतापूर्वक फील्ड कार्य को प्रारम्भ कर सके। प्रगणक इसकी पूर्ण जांच करें और सुनिश्चित करें कि सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (LRUR) में ब्लॉक का नक्शा, नए सदस्य/नए परिवार के लिए खाली फार्म व पर्याप्त सार पत्रक भी जुड़ें हुए है। क्षेत्र कार्य को सुगमतापूर्वक करने हेतु प्रगणकों को प्रशिक्षण के दौरान् आवश्यक स्टेशनरी (नीला लाल पेन, पेन्सिल, स्टाम्प पैड आदि) भी उपलब्ध करवाई जानी है।
3. सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर के मुद्रण के दौरान् जिन ब्लॉक के डेटा सॉफ्टकॉपी में प्राप्त नहीं हुए है उसकी सूचना शीघ्र ही चार्जवाईज इस निदेशालय को उपलब्ध करवायें।
4. कतिपय ब्लॉकों में 20 से अधिक नए फार्मो की आवश्यकता होंने पर संबंधित प्रगणकों को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त फार्म उपलब्ध करवायें

एवं आवश्यकतानुसार ब्लॉक में पाये गये नए सदस्य तथा नए परिवारों के फार्म भरवा लें और इन फार्मो को सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (LRUR) के साथ बाइंडिंग कराई गई एनपीआर बुकलेट के साथ नत्थी कर कार्य पूर्ण होने के बाद चार्ज अधिकारी को जमा करवाये जाने के निर्देश प्रदान करें।

5. सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (LRUR) में मुद्रित परिवार के पास एक से अधिक राशनकार्ड सम्भव है। इस स्थिति में परिवार के पास उपलब्ध सभी राशन कार्ड नम्बर की प्रविष्टि परिवार के अन्तिम सदस्य की प्रविष्टि के बाद की जानी है। सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (LRUR) में मुद्रित राशनकार्ड संख्या के स्थान पर परिवार के मुखिया का राशनकार्ड संख्या दर्ज की जानी है। उसके नीचे उस राशनकार्ड में दिए गए सदस्यों के सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (LRUR) में मुद्रित क्रम संख्या दर्ज की जानी है। इसी प्रकार अन्य राशनकार्ड की प्रविष्टि पैन से खाली स्थान पर ब्लॉक बनाकर की जानी है एवं संबंधित सदस्यों की क्रम संख्या भी नीचे दर्शाये अनुसार की जानी है:

राशन कार्ड												
सदस्य संख्या जो मुखिया के राशनकार्ड से सम्बद्ध है:												
अन्य राशन कार्ड												
सदस्य संख्या जो अन्य राशनकार्ड से सम्बद्ध है:												

6. यदि सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (LRUR) में मुद्रित परिवार का विभाजन हो गया हो एवं कुछ सदस्य ब्लॉक में ही अन्यत्र निवास कर रहे हों तो इस स्थिति में परिवार से अलग होकर गए सदस्यों को 'Out Migrated' बताया जाएगा एवं ब्लॉक में अन्यत्र पृथक रूप से सामान्य निवासियों की तरह पाये जाने पर नए परिवार के रूप में गणना की जाएगी।

7. नए परिवार हेतु नया एनपीआर फार्म भरें और फार्म की 'बी' साईड में नीचे दायी ओर खाली स्थान पर परिवार का राशनकार्ड नम्बर दर्ज करने के निर्देश प्रदान करें।

8. परिवार का राशनकार्ड नम्बर अंकित करते समय प्रगणक द्वारा यह ध्यान रखा जाना है कि वह संक्षिप्त चार अंकों का कोड अंकित न करें वरन् बार कोड पर दर्शाया गया पूर्ण कोड अंकित करें।

9. नए एनपीआर फार्म में 'बी' साईड में नाम के स्थान पर सदस्य का आधार नम्बर व मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना है।

10. जन सामान्य में कार्य की व्यापक जागरूकता उत्पन्न किए जाने के उद्धेश्य से जनगणना 2011 के समय फील्ड कार्य की शुरूआत क्षेत्र के अति–गणमान्य व्यक्तियों (राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, महापौर, उप–महापौर, नगरपालिका/परिषद् के अध्यक्ष, सरपंच आदि) के परिवारों से की गई थी। कृपया ऐसी नीति ही एनपीआर कार्य को प्रारम्भ किए जाते समय अपनाने का प्रयास करें।

11. ब्लॉक सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (LRUR) के मुद्रण का कार्य पूर्ण हो गया होगा या अन्तिम चरण में होगा एवं सभी चार्ज अधिकारी अपने चार्ज में स्थित एनपीआर ब्लॉकों की कुल संख्या एवं चार्ज में उपलब्ध कर्मियों की संख्या को मध्यनजर रखते हुए ब्लॉक का आवंटन करें। एक प्रगणक को दो/तीन/चार ब्लॉक (कुल अधिकतम जनसंख्या 3000) से अधिक ब्लॉकों का आवंटन नहीं करें। चार्ज स्तर पर अन्तिम रूप से लगाये गये वास्तविक प्रगणकों की संख्या के बारे में निदेशालय को फील्ड कार्य शुरू होने के पश्चात् सूचित करना सुनिश्चित करावें जिससे प्रगणकों के मानदेय का भुगतान निदेशालय द्वारा जारी किया जा सके। प्रशिक्षण भत्ता व्यय एवं अन्य समस्त विविध व्यय के भुगतान हेतु राशि निदेशालय द्वारा पूर्व में ही जारी की जा चुकी है।

भवदीय,

5/10/15

(आर.आर.मीना)
संयुक्त निदेशक एवं
नियंत्रक अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. भारत के महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण, 2ए मानसिंह रोड़, नई दिल्ली–110 011
2. शासन सचिव, आयोजना, सूचना प्राद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. भारत के अतिरिक्त महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण, 2ए मानसिंह रोड़, नई दिल्ली–110 011
4. डॉ. हंसराज यादव, राज्य समन्वयक (NPR) एवं अतिरिक्त निदेशक (UID), कमरा नम्बर 210, न्यू आईटी बिल्डिंग, योजना भवन, जयपुर
5. श्री एम.एस.भाटी, उप निदेशक एवं नोडल अधिकारी (एनपीआर) – राजस्थान – भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, 2ए, मानसिंह रोड़, नई दिल्ली–110 011
6. समस्त उपनिदेशक/ सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान
7. समस्त अतिरिक्त जिला कलक्टर
8. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सांख्यिकी
9. समस्त तहसीलदार
10. समस्त आयुक्त नगर निगम/ प्रशासक/ अधिशाषी अधिकारी
11. निजी सहायक, संयुक्त निदेशक (नि.अ.) महोदय
12. श्री लोकेश जैन, डीपीए – विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(पुनीत मेहरोत्रा)
सहायक निदेशक